आलेख्य-1

संख्या: 507/24-पी-3-2023-2828/2022

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन,लखनऊ।

कार्यवाहक निदेशक,
विद्युत सुरक्षा,
गोमती नगरलखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 24 मार्च, 2023

विषय: उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग पालिसी-2022 के पैरा-4.6(ए)(बी) के अनुसार पाँच वर्षों के भीतर क्रियाशील समस्त नई वस्त्र एवं गारमेन्टिंग इकाईयों को 10 वर्ष तक विद्युत शुल्क में 100 प्रतिशत छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग पालिसी-2022 के पैरा-4.6(ए)(बी) में निम्नवत् उपबंध किया गया है:-

(a) नई वस्त्र एवं गारमेन्टिंग इकाइयों को 10 वर्शों तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से 100 प्रतिषत की छूट दी जाएगी।

(b) नई वस्त्र एवं गारमेन्टिंग इकाइयों द्वारा कैप्टिव पावर प्लाण्ट पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट का लाभ तभी अनुमन्य किया जाएगा जब इससे उत्पादित विद्युत ऊर्जा का उपयोग इकाई द्वारा स्वयं किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-33 सन् 1952) की धारा 3 की उप-धारा (4) में निर्धारित प्रावधानों के अन्तर्गत उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग पालिसी-2022 जारी किये जाने के पाँच वर्षों के भीतर क्रियाशील समस्त नई वस्त्र एवं गारमेन्टिंग इकाईयों को 10 वर्ष तक विद्युत शुल्क में छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के अतिरिक्त नई वस्त्र एवं गारमेन्टिंग इकाइयों द्वारा कैप्टिव पावर प्लाण्ट पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट का लाभ तभी अनुमन्य किया जाएगा जब इससे उत्पादित विद्युत ऊर्जा का उपयोग इकाई द्वारा स्वयं किया जाय।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव।

[redacted]

संख्या /24-पी-3-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित् :-

(1) महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद ।

(2) अपर मुख्य सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग उ0प्र0 शासन।

(2) सचिव, विद्युत नियामक आयोग, उ०प्र० लखनऊ।

(3) अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।

(4) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ / उ०प्र० जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 लखनऊ /पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ /दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा एवं कानपुर विद्युत सप्लाई कम्पनी लि० (केस्को). कानपुर।

(5) कार्यवाहक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र०, गोमतीनगर, लखनऊ ।

(6) हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग ।

(7). गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।